

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0 / पूर्णपीठ / /22, लखनऊ:दिनांक:अगस्त, 03 ,2022

--: आदेश :-

उत्तर प्रदेश, वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन दिनांक 01.09.2022 एवं 02.09.2022 को पूर्णपीठ से सम्बंधित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ का गठन किया जाता है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे अतिरिक्त श्री कुनाल वेपा न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 गाजियाबाद तथा श्री विवेक कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी अवगत होने का कष्ट करें।

ह0 / 03.08.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0 / पूर्णपीठ / 1119 / 2022 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, गाजियाबाद व पीठ- 2 लखनऊ
- 2- मुन्सरिम / पेशकार / वरिष्ठ सहायक विवरण / कम्प्यूटर मुख्यालय
- 3- आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।

आज्ञा से



(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।